

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला-पाली(राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना आई.ए.एस.

विधि विविध प्रकरण GCMS NO 2022 / 283

दायरा तिथि : 29.07.2022

आदेश तिथि : 12-09-2022

प्रार्थी :-

श्री हितेश कुमार पुत्र हमीराराम जाति गरासिया
निवासी नाडीफली, आमली तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही

ब न म

अप्रार्थी :-

राजस्थान सरकार जरिये
(भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

**प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम,
2012 बाबत राजकीय भूमि में से रास्ता उपलब्ध कराने**

आदेश

दिनांक 12-09-2022

प्रार्थी ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम 68 प्रस्तुत कर स्वयं की धारित खातेदारी भूमि मौजा कोठार तहसील बाली के खसरा नंबर 218 रकबा 0.9800 हैक्टर किस्म बारानी सोयम में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नहीं होने से राजकीय सिवाय चक भूमि मौजा कोठार के खसरा नंबर 217 रकबा 0.8000 हैक्टर प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शे में लाल रंग से दर्शित मार्ग से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के साथ राजस्व अभिलेखों की प्रतियां भी प्रस्तुत की गईं। प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमों के नियम-69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध में राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप-6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02-03-2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसरण में तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, नाना ने जरिये पत्रांक : राजस्व/2022/2498 दिनांक 30.08.2022 से रिकॉर्ड व मौका स्थिति की जांच कर रिपोर्ट पेश की। तहसीलदार, बाली की जांच रिपोर्ट अनुसार :-

1. यह है कि ग्राम कोठार बाली के खसरा नंबर रकबा 0.9800 हैक्टर किस्म बारानी सोयम की भूमि श्री हितेश कुमार पुत्र हमीराराम जाति गरासिया निवासी नाडीफली, आमली तहसील पिण्डवाडा के नाम से खातेदारी भूमि दर्ज है। खातेदार की धारित भूमि में आवागमन के लिये प्रस्तावित रास्ता के अतिरिक्त अन्य कोई रास्ते का विकल्प नहीं है।
2. रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.स.	खसरा नंबर	रकबा (हैक्टर)	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल	नाम खातेदार
1	217	0.80	बा.सो.	36 X 9 = 324 वर्गमीटर	राजकीय सिवाय चक भूमि

3. यह है कि प्रस्तावित भूमि ग्राम कोठार की डी.एल.सी.दर 107447/- रुपये प्रति हैक्टर है।
4. प्रस्तावित रास्ते की भूमि में कोई भी वृक्ष या पक्का निर्माण इत्यादि नहीं है। अतः अन्य कोई भी क्षति नहीं होगी तथा प्रस्तावित रास्ते के क्षेत्रफल में से अन्य क्षति यथा वृक्ष, पक्का निर्माण कार्य इत्यादि नहीं है।

प्रकरण में तहसीलदार, बाली द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर प्रार्थी की मांग अनुसार रास्ता दिये जाने बाबत अनुशंसा की गई। तहसीलदार, बाली से रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण में प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकॉर्ड के अध्ययन व वकूलाय की बहस पर गहन के पश्चात जाहिर हैं कि प्रार्थी के खातेदारी भूमि में आवागमन के लिये वर्तमान में कोई रेकॉर्डेड रास्ता उपलब्ध नहीं है, तथा प्रस्तावित रास्ते के अतिरिक्त कोई विकल्प मौजूद नहीं है। अतः तहसीलदार बाली के कार्यालय तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, नाना ने जरिये पत्रांक : राजस्व/2022/2498 दिनांक 30.08.2022 के अनुसार राजस्थान

पेज लगातार--2

उपखण्ड अधिकारी

अनवान हितेश कुमार बनाम राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, वाली
अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (गुप-6) के परिपत्र क्रमांक :प.3(52)राज-6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियों के अनुसरण में प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा कोठार तहसील वाली के खसरा नंबर 218 रकबा 0.9800 हैक्टर किस्म बरानी सोयम में आवागमन हेतु राजकीय सिवाय चक भूमि मौजा कोठार के खसरा नंबर 217 रकबा 0.8000 हैक्टर में से $36 \times 9 = 324$ वर्गमीटर रास्ता नियमों के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए तहसीलदार वाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप रास्ता उपलब्ध कराये जाने के आदेश दिये जाते हैं। राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, वाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :-

खसरा नंबर	रकबा (हैक्टर)	रास्ते के लिये प्रभावित क्षेत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति वर्गमी.) रुपये	देय प्रतिकर राशि कोठार डी.एल.सी. दर 107447/- प्रति हैक्टर की दर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
217	0.80	$36 \times 9 = 324$ वर्गमीटर	10.75	$3483 \times 2 = 6966$	राजकीय सिवायचक भूमि

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नही होने से उक्तानुसार 6966/- (अक्षरे छः हजार नौ सौ छसठ रुपये मात्र) रुपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर राज्य कोष में जमा कराये जावेंगे। तहसीलदार, वाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, वाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद के साथ नक्शा में तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे।
मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।



पत्रांक : कोर्ट / 2022 / 3469-73

प्रतिलिपि पालनार्थ :-

1. तहसीलदार वाली
2. भू.अ.निरीक्षक नाना
3. पटवारी हल्का कोठार
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील वाली
5. आवेदक श्री हितेश कुमार पुत्र हमीराराम जाति गरसिया निवासी नाडीफली, आमली तहसील पिण्डवाडा जिला सिराही को सूचनार्थ प्रेषित हैं।

(सुश्री उषागुंडे सहेला नाना)
आई.ए.एस.
जिला-वाली (राज)
पदेन सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, वाली
दिनांक : 20-09-22

पदेन सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड-अधिकारी, वाली
वाली, जिला-वाली (राज)